उत्तर प्रदेश सरकार
औद्योगिक विकास अनुभाग–4
संख्या–4246/77–4–07–94 भा./07 टी0सी
लखनऊः दिनांक 27 दिसम्बर, 2007

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–6 सन् 1976) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल ग्रेटर नोएडा से बलिया तक आठ लेन के एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना औद्योगिक विकास क्षेत्र) के स्वामित्व एवं कियान्वयन हेतु एक प्राधिकरण का गठन करते है, जिसे ''उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण'' कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होगेंः–

(क)	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
(ख)	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव से नीचे का न हो।	सदस्य
(ग)	प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव से नीचे का न हो।	सदस्य
(घ)	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव से नीचे का न हो।	सदस्य
(ड)	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 कानपुर।	सदस्य
(च)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण।	सदस्य–सचिव

उपर्युक्त प्राधिकरण का मुख्यालय, लखनऊ में होगा।

आज्ञा से
ह0/–
(राम पाल सिंह)
विशेष सचिव